

  
सत्यमेव जयते

# भारत का राजपत्र

# The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 482]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 18, 2014/भाद्र 27, 1936

No. 482]

NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 18, 2014/BHADRA 27, 1936

गृह मंत्रालय

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 18 सितम्बर, 2014

सा.का.नि. 668(अ).—भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) तारीख 30 जुलाई, 2014 में प्रकाशित भारत सरकार के गृह मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 544(अ) में,—

पंक्ति 5 में "आपदा प्रबंधन प्राधिकरण" के स्थान पर "आपदा प्रबंधन" और पंक्ति 8 में "राष्ट्रीय प्राधिकरण (राष्ट्रीय प्राधिकरण के सदस्यों)" के स्थान पर "आपदा प्रबंधन (राष्ट्रीय प्राधिकरण के सदस्यों)" पढ़ें।

[फा. सं. 44-23/2014-एन.डी.एम.-II]

जी. वी. वी. शर्मा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

CORRIGENDUM

New Delhi, the 18th September, 2014

G.S.R. 668(E).—In the notification of the Government of India in the Ministry of Home Affairs number G.S.R. 544(E), published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i), dated the 30th July, 2014,—

In the lines 6 and 10, for "National Disaster Management Authority", read "Disaster Management".

[F. No. 44-23/2014-NDM-II]

G. V. V. SARMA, Jt. Secy.